

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 1197 / भू अ०

दिनांक : 23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बघजोरा, थाना-देवीपुर, थाना सं०-351, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा मधुपुर (सरवन मेन रोड) कजरा से घसको मोड़ भाया बागजोरा बंशटोली बेरहन तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बघजोरा, थाना-देवीपुर, थाना सं०-351, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.45 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	287	रैयती	बाड़ी-2	0.03	विश्वनाथ झा पे० स्व० हरेन्द्र झा वो युगलकिशोर झा वो कृष्णानन्द झा पे० शालीग्राम झा वो मदन झा वो सोहन झा पे० स्व० धनंजय झा वो अमीत झा पे० स्व० मोहन झा वो मृत्युंजय झा वो अमरनाथ झा वो मेघनाथ झा पे० स्व० कालीन्द झा वो नागेश्वर झा वो सुरेश झा वो नारायण झा वो अशोक झा पे० स्व० शम्भु झा वो अनोज झा वो प्रमोद झा वो शिव झा पे० स्व० जगदीश झा वो अजीत झा वो बबलू झा पे० स्व० अविनाश झा वो सुदेव झा वो विजय झा वो प्रदीप झा वो लालमणी झा पे० विनोदानन्द झा वो बाबुमणी झा वो श्रीकांत झा वो मुरारी झा पे० भैरव झा वो राजेन्द्र झा वो रमेश झा वो नन्दकिशोर झा पे० स्व० गुनन झा। सा० देह।	चकब गजोरा, 350	कजरा I, 352	नेमोव I, 345	242 का अंश रकवा
2	4	240	रैयती	बाड़ी-2	0.015	सतभामा देव्या पति स्व० बरलाम झा वो किशोर झा पे० स्व० नसीवर झा वो सचितानन्द झा पे० स्व० जयन्ती झा वो उषा देव्या पति स्व० सहदेव झा वो सुधीर झा पे० स्व० जनार्दन झा। सा० देह।				
3	10	290	रैयती	बाड़ी-2	0.07	रघुनाथ चौधरी पे० स्व० बाबुलाल चौधरी वो ब्रम्हा चौधरी पे० स्व०.....वो विश्वनाथ चौधरी वो लखन चौधरी वो चण्डी चौधरी पे० स्व० गिरिजा चौधरी, वो पिताम्बर चौधरी वो जुगल चौधरी पे० स्व० कृपाल चौधरी वो सुधीर चौधरी वो धीरेन्द्र चौधरी वो प्रमोद चौधरी पे० स्व० राजो चौधरी वो राधानाथ चौधरी वो झबु चौधरी वो पवन चौधरी पे० स्व० कार्तिक प्र० चौधरी। सा० देह।				
4	10	239	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव				

23/10/19

h

5	10	242	रैयती	बाड़ी-2	0.20	तथैव				
6	16	242	रैयती	धानी-1	0.025	सुमित्रा देव्या पति स्व० नित्यानन्द झा वो मालती देव्या पति स्व० जयनाथ झा वो गंगाधर झा पे० स्व० विप्रचरण झा वो नवलकिशोर झा वो सुबल झा वो अवधेश झा वो सुनील झा वो हरेराम झा पे० स्व० गंगानारायण झा। सा० देह।				
7	19	258	रैयती	धानी-2	0.09	विश्वनाथ झा पे० स्व० हरेराम झा वो जुगल किशोर झा वो कृष्णानन्द झा पे० स्व० शालीग्राम झा। सा० देह।				
8	20	289	रैयती	धानी-2	0.01	धरनीधर झा वो महेश्वर झा वो धनंजय झा पे० स्व० शीतल झा वो मो० चुनचुन देव्या पति स्व० शीतल झा। सा० देह।				
कुल रकवा-					0.45					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

19/10/19
जिला भू अर्जन पदाधिकारी

19-10-19
अपर समाहर्ता
देवघर

19/10/19
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1124/ भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

19/10/19
जिला भू अर्जन पदाधिकारी

19-10-19
अपर समाहर्ता
देवघर

19/10/19
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।